

सम्पादक के नाम

इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ का फर्क



जनसत्ता का नारा था, "सबकी खबर ले, सबको खबर दे"। खबर लेने के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ते। जनसत्ता के बारे में लोग चाहे जो कहें मैं जनता हूं कि किसी खबर के लिए मैंने किसी से नहीं पूछा। ना कभी कुछ कहा गया ना पूछा गया। सिर्फ एक खबर पर प्रभाष जी ने कहा था कि चिकोटी नहीं काटते। खबर है तो बढ़ाया से छापो। कल सुरेन्द्र किशोर की एक पोस्ट पर मैंने लिखा था, एक्सप्रेस की ओर से बोफर्स अधियान तो अरुण शौरी और गुरुमूर्ति ने ही चलाया था। और आज इंडियन एक्सप्रेस ने मौका दे दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पोर्टल्यूर में थे। वहां उन्होंने सेल्यूलर जेल में हिन्दुत्व विचारक वीर सावरकर को जिस सेल में रखा गया था वहां बैठकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। एक फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसे टेलीग्राफ ने निम्न विवरण के साथ पहले पन्ने पर छापा है।

अगर आपके विचार खुद प्रधानमंत्री की तरह ही देशभक्तिपूर्ण हैं तो आप सही हैं। नरेन्द्र मोदी ने इतवार की सुबह इस विवरण के साथ पोर्टल्यूर से यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट की है "खुबसूरत पोर्ट ल्यूर में मैं एक सुबह सूर्योदय जल्दी हुआ और परंपरागत परिधान।"

इसके बाद पता चला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था "हमारी आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले स्वतंत्रता संघर्ष के महान वीरों के बारे में सोच रहा हूं"।

सेल्यूलर जेल में मोदी ने हिन्दुत्व विचारक वीर सावरकर को जिस सेल में रखा गया था वहां बैठकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। 1913 में सावरकर ने एक अपील में लिखा था "... इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं सर्विधानवादी विकास का सबसे कठूल समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है।" दूसरी फोटो पीटीआई की है जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें वीर सावरकर के नाम से मशहूर वीडी या विनायक दामोदर सावरकर के बारे में यह नहीं बताया गया है कि वे स्वतंत्रता आदोलन से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे। यह कथित इतिहास बदलने की फूहड़ कोशिशों में साथ देना नहीं तो और क्या है?

- साइबर नजर

भ्रष्टाचार के चलते मजाक बन गया है शासन

अनिल जन विजय

मोदी के सत्ताकाल में हुए 400 करोड़ के घोटाले पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी-जिस दिन पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में अपने भाषण में ये कह रहे थे कि चौरों को चौकीदार सोएगा नहीं। और सभी भ्रष्टाचारियों को सजा दिला कर रहे। उसी दिन यानी 27 दिसंबर को उनके गृह राज्य और उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में उनके ही मंत्रिमंडल के दो सदस्यों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर गुजरात हाईकोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते शासन अब एक मजाक बन कर रह गया है।

मामला 400 करोड़ रुपये के फिशरी घोटाले का है। जिसमें मोदी के मंत्रिमंडल में रहे दो सदस्यों पुरुषोत्तम सोलांकी और दिलीप संघानी सीधे फंसे हुए हैं। दोनों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की।

जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने कहा कि "खुद को हसीं का पात्र बनाते हुए अगर आज शासन एक मजाक का मामला बन गया है और खुद को एक दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर लिया है। और अगर व्यवस्था के प्रति पागलपन आज का नियम हो गया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शायद भ्रष्टाचार को जाती है। विकास शायद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार बना है और उसके बुरे प्रभावों का उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है...."

".....भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार की समस्या सबसे ज्यादा गहरी है जहां इस खलनायक ने लोगों की जिंदगी से विकास को अगवा कर लिया है।"

हालांकि कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गयी 200 पेज की जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर मामले को सही पाया और उसने प्रथम दृष्ट्या उसे आगे बढ़ाने की बात कही। और इस कड़ी में न केवल मौजूदा फिशरी राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलांकी बल्कि पूर्व कृषि मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ भी मुकदमा चलाए जाने पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

जारी रखने का हर वजह मौजूद है लिहाजा ट्रायल जारी रहना चाहिए।

समाज पर पड़ने वाले भ्रष्टाचार के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने आगे कहा कि "अगर किसी से किसी अकेले कारक के बारे में पूछा जाए तिसने हमारे समाज की समृद्धि और प्रगति को बुरी तरीके से रोके रखा है तो उसका जवाब बैरंग किसी ना-नुकुर के भ्रष्टाचार है। अगर एक विकासशील देश में समाज कानून और व्यवस्था के हत्यारों से भी बड़े किसी राशक्षण का सामना कर रहा है तो वो सरकार और राजनीतिक दलों के ऊपर बैठे हुए भ्रष्ट तत्व हैं।"

कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अगर एक राज्य के मौजूदा मंत्री पर मुकदमा चलाया जाता है तो सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही उसने इस बात को स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया कि शिकायत किसी गलत इरादे से की गयी है।

कोर्ट ने कहा कि एकबारी अगर ये मान भी लिया जाए कि शिकायत गलत इरादे से की गयी है तो भी इसे शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अगर शिकायत में कोई गंभीर आरोप है तो उसको जुटाए गए सबूतों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली मुकदमों के जल्द निपटारे की बकालत करती है। साथ ही विधायिका भी मामलों को जल्द से जल्द खत्म करने के पक्ष रहती है। ऐसे में ऊपरी कोर्टों को निचली अदालतों के मामलों में कम से कम दखल देने की जरूरत है। इसके साथ ही दोनों की याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया।

अंत में आइन रैंडस एटलस को कोट करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि "जब आप देखते हैं कि कामकाज सहमति से नहीं बल्कि दबाव में हो रहा है- जब आप देखते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में आपको उन लोगों से इजाजत लेने की जरूरत है जो कुछ नहीं पैदा करते हैं- पैसा उनकी ओर बह रहा है जो अच्छे के पक्ष काम नहीं करते बल्कि पक्षपात करते हैं-

जब आप देखते हैं कि इंसान काम की बजाय भ्रष्टाचार से समृद्ध हो रहा है और आप का कानून उनके खिलाफ आप की रक्षा नहीं करता है- जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार को पुस्कृत किया जा रहा है और ईमानदारी आत्म बलिदान साबित हो रही है- तब आप समझ सकते हैं कि आपका समाज गर्त की ओर जा रहा है।"

जब की ये पूरी टिप्पणी उस दौर के भ्रष्टाचार को लेकर की गयी है जिसे मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में अंजाम दिया गया था। 400 करोड़ रुपये के इस घोटाले का मामला निचली अदालत में चल रहा है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि उस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की बात तो दूर उसी विभाग का मंत्री बनाए रखा गया है। लेकिन इस पर न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले हमारे पीएम का कोई ध्यान गया।

और न ही वो इसकी ज़रूरत समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। या फिर कोर्ट के इस फैसले और टिप्पणी के बारे में उनको पता नहीं होगा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्राधारा का मीडिया इसे उठाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी को भी इस पर बोलने और कार्रवाई करने की बाबा ज़रूरत है। इसी तरह के न जाने कितने घोटाले गुजरात में तैर रहे हैं जिसकी न तो किसी ने सुध ली और न ही देश में उस पर बात हुई।

अब जब कि चौकीदार एक ब्रांड बन गया है। तब राफेल जैसे महाघोटाले को भी हवा में उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट की लीपापोती का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और मामला है कि आगे ही बढ़ता जा रहा है। और अखिले में जनता के बीच भी इस तरह की एक अवधारणा बन रही है जिसका जवाब देना पीएम मोदी समेत उनकी आपराधिक प्रणाली की बाबा ज़रूरत है। अनायास नहीं चौकीदार के चोर होने के नये ब्रांड की मांग बढ़ गयी है। और विपक्ष तो विपक्ष शिवसेना जैसे गठबंधन के सहयोगी भी इसके खरीदार बन गए हैं।

आप इस मोदी घोटाले के बारे में जानकर हैरान हो जाएँगे

वैसे सच तो यह है कि कोई चीज़ फ्री में नहीं लगाई जाती, फ्री में लगाने से पहले ही सारा केलकुलेशन बैठा लिया गया है

कि पहले 6 महीने में ही

आपका जो बिल बढ़ा हुआ आएगा उसी में यह राशि समायोजित कर दी जाएगी, और जिन घरों में यह मीटर लगाए गए हैं उन सभी घरों में जो बिल आए हैं उसमें सवा से डेढ़ गुनी अधिक खपत दिखाई दे रही है।

गुणवत्ता वाला मीटर खरीदने के लिए लोगों को 25 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अब ये कम्पनी जो स्मार्ट मीटर लगा रही है